

**कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232132 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 7501 / 12-112 अल्मोड़ा दिनांक 22/06/2028

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

- विषय -** जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोनेरवर के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर से विस्तार करनेली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.985 है० वन भूमि का पैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन { प्रस्ताव सं० R2/UK/ROAD/16287/2015 }
- सन्दर्भ -** भारत सरकार का पत्र सं० 08/बी०/यू०सी०पी०/०६/५७/२०२२/एफ० सी० /७९२ दिनांक ०९.०९.२०२२ व अधिसूची अधिनियन्ता, प्रान्तीय खण्ड ला०नि०वि० अल्मोड़ा का पत्रांक 1832/7 सी० दिनांक 12.06.2026।

सहेदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है।

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The proposed alignment and location of villages proposed to be benefited by the road are not marked in the KML file which is uploaded in the online portal Part-1. The State Govt. is requested to mark the proposal alignment and location of the concerned village in the KML file and upload the same to the online portal.	संशोधित कै०एम०एल० पार्ट 1 के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है।
2	The State Govt. is requested to submit the enumeration detail of trees in 7m width.	7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना करवा ली गयी है। गणना सूची पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 52 पर अपलोड कर ली गयी है।
3	The proposal involves an area of 0.985 ha which is around 1.0 ha. Therefore, the state govt. is requested to submit the plantation scheme of 1970 trees for double the degraded forest land 1.97 ha for raising CA and also upload the detail of CA in online Part 2.	सी० ए० प्रपत्र पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 53 पर अपलोड कर लिया गया है।
4	In the perusal of the KML file, it is noticed that it is possible to connect the target population from left side of the proposed alignment which needs to be worked out because of existing bridle path is seen on the KML, connecting the existing highway 109.	bridle path के संबंध में अवगत कराया है कि bridle path अत्यधिक ढलान में होने के कारण मोटर मार्ग हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
5	The document submitted by the state govt. along with the proposal (proforma 2.1) the density of the area proposed for diversion issuance 0.4 whereas it is mentioned as 0.2 in the online portal. The State Govt. is requested to clarify the same.	प्रस्ताव के प्रपत्र proforma 2.1 में प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र के घनत्व में संशोधन कर पुनः प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 7501/12-112) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिवासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रभागीय कनाधिकारी,
अल्मोड़ा कन प्रभाग, अल्मोड़ा

FP/UK/ROAD/16207/2015

जनपद - अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर से विस्तार - कनेली होते हुये ज्योली रानीखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण, प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला अल्मोड़ा

(iii) जिला वन प्रभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र. 0.985

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: सिविल भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार खुला वन

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.2

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न है।

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लागू नहीं।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रक्षारण की संभावना

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 5 किमी. नहीं है।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: —

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा:

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अन्तर्वास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं।

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें:

(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनक्षेत्र है। हाँ अपरिहार्य व न्यूनक्षेत्र है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : संलग्न है /

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्ताता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पाति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की निनिर्दिष्ट सिफारिशों

संलग्न है एवं स्वीकार्य है / नहीं स्वीकार्य है।

स्थान:

तारीख:

Almora

हस्ताक्षर

नमिनी शासकीय मुख्यालय
मन्त्रालय वन प्रशासन